न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 97 / 2023(जी.सी.एम.एस. 2023 / 138)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. रामजी लाल पुत्र कृपाल सिंह जाति बावरी निवासी 63 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल आबाद चक 13 जी. एम. पोस्ट ऑफिस गोमावाली तहसील विजयनगर। 2. प्रीतम कौर पुत्री कृपाल सिंह जाति बावरी निवासी अहमदपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। 3. अमरजीत कौर पुत्री कृपाल सिंह पत्नी सतपाल सिंह जाति बावरी निवासी 1 एस.टी.वाई (ए) तहसील घडसाना।	1. कृपाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति बावरी निवासी 63 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल चक 13 जी.एम. पोस्ट ऑफिस गोमावाली तहसील विजयनगर। 2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 24.05.2023

उपस्थित: 1.श्री सतीश कुमार अरोडा अधिवक्ता वादीगण
2.श्री कृष्ण कुमार परूथी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए दिनांक : 06.09.2024

––निर्णय––

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 97/95 के मुरब्बा नम्बर 75 की कुल 6.198 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 कृपाल सिंह के नाम 0.620 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता इन्द्र सिंह पुत्र बुध सिह से जरिए विरास्तन इन्तकाल संख्या 169 दिनांक 14.07.1992 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार से वादीगण के पिता कृपाल सिंह के नाम दर्ज भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। आज से 2 रोज पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 के पास जाकर निवेदन किया कि उक्त भूमि में से हमारे हिस्सा की भूमि हमें दे देवें एंव उक्त भूमि को खूर्द बुर्द ना करे, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और कहने लगे कि तुम्हारे हिस्से की भूमि खुर्द-बुर्द कर दूंगा। यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो गया। तो वादीगण को ना पुरा हो सकने वाला नुकसान होगा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 97/95 के मुरब्बा नम्बर 75 की कुल 6.198 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कृपाल सिंह के नाम दर्ज कुल 0.620 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी उपस्थित आए। जवाबदावा पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का जवाबदावा बन्द होने के कारण हस्तगत प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र का अध्ययन किया। अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 97/95 की प्रति, चक 63 एफ के इन्तकाल संख्या 169 दिनांक 14.07.1992 की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 97/95 के मुरब्बा नम्बर 75 की कुल 6.198 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कृपाल सिंह के नाम दर्ज कुल 0.620 हैक्टेयर भूमि में से प्रत्येक वादीगण को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किए जाने बाबत निवेदन किया गया। राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 97/95 के मुरब्बा नम्बर 75 की कुल 6.198 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के पिता कृपाल सिंह के नाम 0.620 हैक्टेयर भूमि दर्ज है। जो प्रतिवादी संख्या 1 कृपाल सिंह को अपने पिता इन्द्र सिंह से जरिए विरास्तन इन्तकाल 169 दिनांक 14.07.1992 व अपनी बहनों से जरिए दस्तबरदारी प्राप्त हुई है। इसलिए उक्त वादगत भूमि पैतृक भूमि है। जिसमें से वादीगण अपना-अपना हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः वाद पत्र वादीगण, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, वादीगण के शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 97/95 के मुरब्बा नम्बर 75 की कुल 6.198 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कृपाल सिंह के नाम दर्ज कुल 0.620 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण रामजीलाल, प्रीतम कौर, अमरजीत कौर प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेपित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर, जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

रामजीलाल आदि बनाम कृपाल सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 188 आरटीए

मुकदमा नम्बर 97/2023

निर्णय दिनांक :- 06.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कदई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री सतीश कुमार अरोड़ा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार परूथी उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 63 एफ, पटवार हल्का मुकन बी, भू.अ.नि.क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 97/95 के मुरब्बा नम्बर 75 की कुल 6.198 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 कृपाल सिंह के नाम दर्ज कुल 0.620 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण रामजीलाल, प्रीतम कौर, अमरजीत कौर प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 06.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**02**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 06.09.2024

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

क्रमांक: रीडर/2024/508

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★ सत्यमेव जयते